well as punished during the last one year. However, Shri B. R. Sant, Tax Recovery Officer (Income-Tax Officer), posted at Agra, was arrested in New Delhi on the 11th May, 1971 while accepting a sum of Rs. 2 lakhs as illegal gratification from the Manager of a foreign Bank. Further investigation into the matter is in progress.

National Rayon Corporation, Bombay

*895. SHRI TRIDIB CHAUDHURI: Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Governments attention has been drawn to the serious differences between two groups of Directors led by the Kapadia on one hand and the China is on the other in the context of impending annual general meeting of the National Rayon Corporation of Bombay and that of the order passed by the Company Law Board under Section 409 (1) of the Companies Act ; and

(b) whether Government have kept a watch over the situation and contemplate taking any action open to the Government under the Companies Act or any other Act to stop such unhealthy State of affairs in big Private Companies ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) and (b). Yes, Sir. An order under Section 409 of the Companies Act has been passed and is to remain in force upto 31-12-1971. The Company Law Board has also since appointed two Government directors on the Board of the Company under Section 408 of the Companies Act, 1956 for a period of 2 years.

विश्व बैंक द्वारा राज्यों को ऋण

*896. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य, विकास कार्यों के लिये विश्व बैंक से स्वयं ऋण प्राप्त कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विकास कार्यों के लिये किन-किन राज्यों ने विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है ; और

(ग) राज्य किन आधारों पर ऋण ले सकते हैं तथा क्या इसके लिये केन्द्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, या विदेशी सहायता देने वाली किसी अन्य स्रोत से विदेशी सहायता के अनुरोध केवल भारत सरकार द्वारा ही किये जाते हैं । किन्तु जिस प्रायोजना के लिये सहायता मिले, वह केन्द्रीय प्रायोजना भी हो सकती है और राज्य की प्रायोजना भी । जिस मामले में किसी राज्य की प्रायोजना के लिये सहायता मांगी जाती है, उसमें स्वभावत: प्रस्ताव के प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारी सम्बद्ध होते हैं ।

(ख) असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रायोजनाओं के लिये विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । बहुत से मामलों में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण करारों पर पहले ही हस्ताक्षर किये जा चुके हैं । अन्य मामलों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) हम केवल आयोजना में शामिल प्रायोजनाओं के लिये ही विदेशी सहायता के बारे में बातचीत करते हैं ।

Unpaid and Unclaimed Dividends of Joint Stock Companies

*897. SHRI H. N. MUKHERJEE: Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have any estimate of moneys accumulated every year in the hands